तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास (पेन्शन निधि) विनियम, 1979

(भारत के राजपत्र में दिनांक 1.3.1979 को प्रकाशित)

सा0का0नि0 105 (1) : महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963, (1963 का 38) की धारा 88 की उप धारा (1) एवं धारा 28 के साथ पठित धारा 126 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित प्रथम विनियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1 **लघु शीर्ष एवं शुरूआत :** (1) ये विनियम, तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास (पेन्शन निधि) विनियम, 1979 कहें जाएं।

2 **परिभाषा :–** इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ की अन्यथा जरूरत न हो : –

(ए) '' अधिनियम '' का तात्पर्य है, महा पत्तन न्यास अधिनियम , 1963 (1963 का 38) ;

(बी) '' बोर्ड '' का तात्पर्य है, तूत्तुक्कुडि पत्तन के लिए बोर्ड के न्यासी ;

(सी) '' अध्यक्ष '' का तात्पर्य है, बोर्ड के अध्यक्ष ;

(डी) '' कर्मचारी '' का तात्पर्य है, बोर्ड के कर्मचारी, चाहे स्थायी या अस्थायी, जो मर गए हों या सेवानिवृत्त हो गए हो या बोर्ड की सेवा से स्तीफा दे दिया हो , या जिनकी सेवा को समाप्त कर दी गई हो लेकिन केन्द्र या राज्य सरकार या स्थानीय निकाय या बोर्ड के पास प्रतिनियुक्ति पर अन्य प्राधिकारी के कोई स्थायी या अस्थायी कर्मचारी शामिल नहीं हैं।

(ई) '' निधि '' का तात्पर्य है, विनियम 3 के अधीन स्थापित तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास पेन्शन निधि।

(एफ) '' सामान्य खाता '' का तात्पर्य है, बोर्ड का सामान्य खाता ।

(जी) '' पेन्शन '' का तात्पर्य है, परिवार पेन्शन ।

(एच) '' पेन्शन नियम '' का तात्पर्य है, पेंशन , उपदान एवं कम्यूटेशन ऑफ पेन्शन का प्रबंधक करने वाले सभी मौजूदा विनियम एवं आदेश, जो तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास (नियमों का

अनुकूलन) विनियम, 1979 या इस तरह के अन्य विनियमों के बदले में लागू होते हैं या बोर्ड द्वारा तैयार किए गए अनुसार, उपर्युक्त विनियम एवं आदेशों को संशोधित कर सकते हैं।

3 **निधि की स्थापना : –** ऐसे एक निधि की स्थापना की जानी चाहिए जिसे तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास पेन्शन निधि कहा जाए और वहाँ जमा किया जाएगा –

(ए) कर्मचारियों के मामले में, पेन्शन एवं उपदान की भविष्य देयताओं को चुकाने के लिए , अध्यक्ष द्वारा उचित और पर्याप्त समझे जाने पर, सामान्य लेखा से इस प्रकार का वार्षिक अंशदान ;

(बी) निधि से संबंधी निवेशों पर ब्याज एवं लाभ ;

(सी) उपहार या दान के माध्यम से निधि में की गई कोई भी अन्य राशि ;

(डी) पेन्शन या उपदान के किसी भी अतिरिक्त भुगतान की वापसी के रूप में वसूल किया जा सकता है ।

4 **निधि का प्रशासन :** अध्यक्ष द्वारा निधि को प्रशासित किया जाएगा।

5 **निधि से व्यय :** निम्नलिखित एक या ज्यादा उद्देश्यों के लिए निधि से उपगत किए जाने वाले व्यय, अर्थात् –

(ए) कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्यों या उनके आश्रितों, जैसी स्थिति हो, को पेन्शन विनियम के अधीन स्वीकार्य पेन्शन एवं परिवार पेन्शन का भुगतान ;

(बी) कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्यों या उनके आश्रितों, जैसी स्थिति हो, को पेन्शन विनियमों के अधीन स्वीकार्य उपदान, मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपदान एवं टर्मिनल ग्राजुटी का भुगतान ;

(सी) पेन्शन विनियम के अधीन स्वीकार्य पेन्शन के लिए परिणत मुल्य का भुगतान ।

6 **निधि का संवितरण :** अध्यक्ष की विशिष्ट मंजूरी के अधीन, पेन्शन विनियम के प्रावधानों के अनुसार कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्यों या उनके आश्रितों को निधि में से संवितरण किया जाएगा।

7 **निधि का निवेश :** अध्यक्ष, निधि को पूर्णतया या उसके आंशिक को, इसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित सार्वजनिक सेक्यूरिटीस या इस तरह के अन्य सेक्यूरिटीसों में निवेश कर सकते हैं।

8 **व्याख्या :** इन विनियमों की व्याख्या से संबंधी किसी प्रकार के प्रश्न उठते हैं तो अध्यक्ष द्वारा इस पर निर्णय लिया जाएगा।